न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 170/2015

1. ओमप्रकाश पुत्र हरचन्द 2. सरस्वती देवी पत्नी हरचन्द 3. बनवारी 4. रतिराम 5. अमीलाल 6. आसाराम 7. सुखराम 8. लिछमादेवी	पि. हरचन्द	जाति नायक निवासी 41 पी.टी.पी. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थीगण

बनाम

सहीराम पुत्र नत्थूराम जाति नायक निवासी 41 पी.टी.पी. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पॉडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 13.07.2015

उपस्थिति:–

श्री दिनेश छाबड़ा अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री राकेश कुमार अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांक 20.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो0 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का. अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे चक 1 एलएलजी के प.न. 45/152 मु.न. 73 के कि.न. 21, प.न. 45/153 मु.न. 74 के कि.न. 1 से 25 प.न. 44/153 मु.न. 75 कि.न. 5, 6, 15, 16,25 कुल 31 बीघा में

20/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

से वादी के हक व हिस्सा की 2.200 है0 व अपने हक व हिस्सा की 0.981 है0 आराजी से अधिक आराजी को रहन बैय व अन्य तरीके से मुन्तकिल नहीं करे तथा प्रार्थी को बेदखल करने से बाज व ममनू रहे।

अप्रार्थी संख्या 1 से 8 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया एवं अप्रर्थीगण ने धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1से 8 के हक व हिस्से की 1.226 है0 भूमि पर नाजायज रूप से काबिज है जिससे अप्रार्थीगण बेदखल करदा कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए स्वीकार कर विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 13.07.2015 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं जबाव प्रार्थना पत्र तथा काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायानय ने रा.का.अ. की धारा 212 के तीनों कारकों के सम्बन्ध में निर्णय करना था किन्तु अधी.न्यायालय ने अपने निर्णय में सम्पूर्ण वाद का ही निर्णय कर दिया। रेस्पो. वादी ने अपना कब्जा प्रतिकूल होना अंकित किया है जबकि इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इसके अलावा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलार्थीगण विववादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है एवं अपीलार्थीगण ने अधी.न्यायालय में काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु अधी.न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों पर गौर न कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को

20/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निरस्त करते हुए, अपीलांट/अपीर्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय ने धारा 212 आरटीए के तीनों कारकों का विवेचन करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है एवं अपीलांट का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें कोई विधिक भूल नहीं है। अतःअपील अपीलांट खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी.न्यायालय में वादी/रेस्पो. ने वाद एवं धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका जवाब अप्रार्थीगण ने पेश किया साथ ही काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया। अधी. न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरुद्ध अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है। अधी.न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत धारा 212 आरटीए के तीनों कारकों का यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत होना नहीं पाई जाती है।

जहां तक अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना का प्रश्न है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की 1.226 है0 एव रेशमी के विधिक वारिसान की 2.941 है0 भूमि पर सहीराम के काबिज होने पर रिसीवर नियुक्त किया जावे। किन्तु काउंटर प्रा.पत्र में अप्रार्थी द्वारा किस मुरब्बे की, किस किलाजात की भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे का कोई उल्लेख अंकित नहीं किया। इसके अलावा रिसीवर नियुक्ति एक कठोरतम उपाय है जिसका उपयोग बिना किसी आधार के

20/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नहीं किया जाना चाहिए। अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में विस्तृत विवेचन करते हुए काउंटर प्रार्थपत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर